सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 356 राँची, बुधवार, 10 आषाढ़, 1948 (श०) / 1 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-1-67/2016-36732 (HRMS)--श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1038, दिनांक 06.05.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना एवं मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने, कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी कुल-05 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं0-9985, दिनांक 25.11.2026 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-133, दिनांक 28.04.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप सं0-1 सही नहीं प्रतीत होता है, आरोप सं0-2 प्रमाणित होता है, आरोप सं0-3 प्रमाणित होता है, आरोप सं0-4 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है, आरोप सं0-5 प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार की सेवा सम्पुष्ट नहीं रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(X) के तहत् सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई ।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही एवं पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में W.P.(S) No. 5914/2017 खाखा सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2024 को पारित आदेश में संचालित विभागीय कार्यवाही (आरोप पत्र सहित) एवं पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा को रद्द करते हुए पुनः नये सिरे से आरोप पत्र गठन कर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निदेश दिया गया ।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2024 को पारित आदेश के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं0-28019(HRMS), दिनांक 04.11.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-456, दिनांक 24.11.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुनः जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-784, दिनांक 12.02.2026 द्वारा श्री अरूण वाल्टर संगा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख श्री संगा को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-126, दिनांक 07.05.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी, श्री खाखा सुशील कुमार के विरूद्ध गठित एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। परन्तु जाँच पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों द्वारा पूछे गए कारण पृच्छाओं का जवाब समर्पित नहीं किया गया, जो उनकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है ।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, इनके द्वारा बचाव बयान उल्लिखित तथ्य एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनहीनता के लिए श्री खाखा सुशील कुमार, झा0प्र0से0 (क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री खाखा सुशील कुमार, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUSHIL KUMAR KHAKHA 110013186521	विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनहीनता के लिए श्री खाखा सुशील कुमार, झा0प्र0से0 (क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 356-- 50